78 जिलों में डीबीटी सब्सिडी योजना का विस्तार

सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सब्सिडी योजना का विस्तार 78 और जिलों में जुलाई तक किया जाएगा, जिससे इसके तहत देश का पांचवा भाग यानि 121 जिले समाविष्ट हो सकेंगे। वृद्ध जन, विधवाओं और विकलांगों की तीन पेंशन योजनाओं को जुलाई से इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

डीबीटी की शुरूआत के समय इसके तहत 43 जिले और 26 योजनाएं शामिल थीं और धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

78 और जिलों में इस योजना की शुरूआत से देश का पांचवा भाग यानि 121 जिले इसके दायरे में आएंगे।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस वर्ष एक जनवरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की, जिसके तहत लाभार्थियों को सीधे बैंक में नकद जमा के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन और नए जिलों और नई योजनाओं को इसके तहत शामिल करने संबंधी दृष्टिकोणों और निर्णयों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने डीबीटी पर राष्ट्रीय समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में डाटाबेस के डिजिटलीकरण, बैंक खाते खोलने और आधार नामांकन की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस बात को माना कि डीबीटी के समक्ष अनपेक्षित चुनौतियां आई हैं पर यह भी कहा कि सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम क्रियान्वयन में यह बात सामने आई है कि वर्तमान में मौजूद ट्रैकिंग और अनुरक्षण प्रणाली संतोषजनक नहीं है।

15 मई तक डीबीटी के तहत रसोई गैस सब्सिडी को चरणबद्द तरीके से 20 जिलों में लागू किया जाएगा। आधार नामांकन के विस्तार के साथ ही और जिलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।

केन्द्र सरकार के सचिवों और विभाग प्रमुखों को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना के क्रियान्वयन पर करीब से नजर रखने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सचिवों को लिखा है कि- "डीबीटी के क्रियान्वयन के दौरान विभागों में ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली की कमजोर स्थिति सामने आई है। हमें यह

सुनिश्चित करना होगा कि जो धन हम व्यय कर रहे हैं उसका परिणाम सामने आए।"

इसलिए हर विभाग को लाभार्थियों के कवरेज और सब्सिडी अंतरण की निगरानी के लिए मात्रा और गुणवत्ता दोनों स्तरों पर सुदृढ़ प्रणाली लागू करनी होगी।

विभागों को पहले चरण में शामिल 43 जिलों सहित द्वितीय चरण में 78 और जिलों में इसे लागू करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों पर "खास ध्यान" देने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव श्री पुलोक चटर्जी द्वारा लिखे पत्र में लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटलीकरण, दूसरे चरण की शुरूआत के बारे में निर्देश, डीबीटी के तहत निधियन के प्रवाह की प्रक्रिया को दुरूस्त करने और योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने जैसी गतिविधियों की ओर भी इंगित किया गया है।

डीबीटी पर राष्ट्रीय समिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा देते हुए श्री चटर्जी ने डीबीटी कार्यक्रम के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित तीन पेंशन योजनाओं को डीबीटी के दायरे में लाने संबंधी प्रधानमंत्री के निर्णय से सभी मंत्रालयों को अवगत कराया। इस चरण के तहत 121 जिले समाविष्ट होंगे।

उन्होंने 15 मई से रसोई गैस सब्सिडी की शुरूआत के सरकारी निर्णय की भी सूचना दी।

श्री चटर्जी ने कहा कि डीबीटी के क्रियान्वयन वाले जिलों के अलावा भी पूरे देश में डाटाबेस के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि "अगले चरण की शुरूआत की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। इसमें शामिल सभी विभागों को बिना किसी देरी के काम शुरू कर देना चाहिए ताकि निर्णय के अनुरूप सुचारू ढंग से इसकी शुरूआत हो सके।"